(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 505/एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2013 –पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर जिला श्योपुर कलॉ – प्रकरण कमांक 17/2012–13 अपील

रामदयाल महौर पुत्र देवचन्द
निवासी ग्राम घोरीबाबड़ी
तहसील बीरपुर जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– गणेश पुत्र देवहंस
2– रामचरन पुत्र देवहंस
ग्राम घोरीबाबड़ी तहसील बीरपुर
जिला श्योपुर कलॉ , मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0एस0कुशवाह)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री पल्लभ त्रिपाठी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अनविभागीय अधिकारी विजयपुर द्वारा प्रकरण कमांक 17/2012–13 अपील में पारित आदेश 31–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा आवेदक के हित में ग्राम घोरीबाबड़ी स्थित सर्वे कमांक 01 रकबा 2.090 हैक्टर (10 वीघा) भूमि का पटटा कमांक 252

दिनांक 20-12-1974 को प्रदान किया। इसके विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष दिनांक 1-7-2013 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31-12-2013 पारित किया तथा भूदान यज्ञ अधिनियम 1969 की धारा 31 के अंतर्गत आवेदक के हित में जारी पटटा कमांक 252 दिनांक 20-12-74 पर्यवसन किया तथा खसरे में भूमि पूर्व की भॉति अंकित करना निर्देशित करते हुये अवैध कब्जेधारी के विरूद्ध धारा 248 के तहत कार्यवाही के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के प्रकरण कमांक 17/12-13 अपील के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब भूदान बोर्ड व्दारा 20-12-1974 को आवेदक को पटटा प्रदान किया गया - अनावेदकगण पटटा प्रदान प्रकरण में क्या पक्षकार रहे हैं और उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का स्वत्व प्राप्त है। प्रथमतः भूदान बोर्ड के समक्ष अनावेदकगण पटटा प्रकरण में पक्षकार नहीं रहे है और न वह प्रमाणित कर सके हैं कि वह भूदान बोर्ड के समक्ष पक्षकार रहे थे। यदि पक्षकार रहे होते, निश्चित है पटटा दिनांक 20-12-1974 को जारी होने के तत्काल वाद वह अपील/निगरानी करते। स्पष्ट है कि वह भूदान बोर्ड के समक्ष पक्षकार नहीं रहे हैं। द्वित्तीय तथ्य यह है

कि अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील करने की अनुमति वावत् आवेदन भी अनावेदकगण व्दारा नहीं दिया है और इस पर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष प्रकरण कमांक 17/2012-13 अपील में की गई कार्यवाही प्रारंभ से ही दूषित है। म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 44 - भूमि दिये जाने की आज्ञा दी गई - जो व्यक्ति विचारण न्यायालय में पक्षकार/आपत्तिकर्ता नहीं - उसे अपील करने की अधिकारिता नहीं है। (डब्बू विरूद्ध मनीराम रा0नि0 641 से अनुसरित)

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पटटा आदेश दिनांक 20-12-74 से जारी हुआ है जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 में 40 साल वाद अपील प्रस्तुत की गई है जो अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होकर टाइमवार्ड थी और अनुविभागीय अधिकारी को समयावधि के बिन्दु का निराकरण किये बिना कार्यवाही नहीं करना थी, किन्तु उन्होंने टाइमवार्ड अपील स्वीकार करने में त्रृटि की है। अनावेदक के अभिभाषक ने अनावेदकगण को पटटे की जानकारी मिलने पर समयावधि में अपील करना बताया । उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा आवेदक के हित में जारी पटटा कमांक 252 दिनांक 20-12-74 की छायाप्रति के अवलोकन पर पाया गया कि पटटा जारी दिनांक 20-12-1974 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अनावेदकगण ने दिनांक 1-7-2013 को अर्थात 40 वर्ष से अधिक समय वाद अपील प्रस्तुत की है क्या 40 वर्ष से अधिक समय वाद प्रस्तुत अपील पोषणीय मानी जा सकती है ?

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – धारा 47 सहपठित 44 – पट्टादेश के विरूद्ध 40 वर्ष वाद अपील – अपील आदेश में पट्टा निरस्त किया गया – ऐसा आदेश अत्यन्त अनुचित एंव अवैध है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदकगण ग्राम घोरीबाबड़ी स्थित सर्वे क्रमांक 01 रकबा 2.090 हैक्टर पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के दिनांक 1–7–13 से 35 वर्ष पूर्व से कब्जा करके खेती करना बता रहे हैं , जबकि प्रस्तुत खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि में 1975 से खसरा वर्ष 2013–14 तक आवेदक का नाम निरन्तर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। वैसे भी किसी भूमिस्वामी की भूमि पर बेजा कब्जे के कारण संहिता की धारा 250 के अधीन बेदखली की कार्यवाही कर बेजा कब्जे से बेदखल किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को ग्राम घोरीबाबड़ी स्थित सर्वे क्रमांक 01 रकबा 2.090 हैक्टर (10 वीघा) भूमि का पटटा क्रमांक 252 दिनांक 20–12–74 को प्रदान किया है, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष दिनांक 1–7–2013 को (40 वर्ष वाद) अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–12–2013 से अपील स्वीकार कर पटटा निरस्त करते हुये भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये हैं। काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008(1) **MPLJ** 282 **MP** = 2008(1) **MPHT** 170 में प्रतिपादित है कि याची व्दारा 2 हैक्टर भूमि आवंटन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया, 13–14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर याचिका स्वीकार की गई। म0प्र0उच्च न्यायालय व्दारा अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें सुना जाकर निर्णय देने में त्रृटि की गई है। जबकि

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने 40 वर्ष के अंतराल वाद प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 1-7-2013 से स्वीकार करने में त्रृटि की गई है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 1-7-13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर द्वारा प्रकरण कमांक 17/2012-13 अपील में पारित आदेश 31-12-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । परिणामतः आवेदक के नाम पटटा कमांक 252 दिनांक 20-12-74 से प्रदान की गई ग्राम घोरीबाबड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 01 रकबा 2.090 हैक्टर यथावत् रहती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर